

प्रेषक,

ई0मेल

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान
संस्थान, लखनऊ।

संख्या: एम0ई0-3/2024/

लखनऊ:दिनांक 08 अक्टूबर
अमरुत, 2024

विषय: डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में ब्रेन स्टेम
डेथ को प्रमाणित किये जाने हेतु कमेटी के गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: 970/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2024 दिनांक 23
जुलाई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान
संस्थान, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में ब्रेन स्टेम डेथ को प्रमाणित किये जाने हेतु कमेटी के
गठन हेतु मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 की धारा 3(6) के बिन्दु (i), (ii), (iii) एवं
(iv) के अनुरूप चिकित्सा विशेषज्ञों का पैनल अनुमोदन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संदर्भ में आपके द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम-1994 की धारा 3(6) के बिन्दु
(i), (ii), (iii) एवं (iv) के अर्न्तगत उपलब्ध कराये गये चिकित्सकों का पैनल इस शर्त के साथ
अनुमोदित किया जा रहा है कि यदि निम्नांकित पैनल के चिकित्सकों द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है तो
पैनल संशोधित किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा:-

अधिनियम की धारा 3(6) (i) के अर्न्तगत अनुमोदित पैनल

क्र0सं0	नाम व पदनाम
01	डा0 ए0के0 सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
02	डा0 विक्रम सिंह, चिकित्सा अधीक्षक

अधिनियम की धारा 3(6) (ii) के अर्न्तगत अनुमोदित पैनल

क्र0सं0	नाम व पदनाम
01	डा0 रितु करौली, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड, जनरल मेडिसिन विभाग
02	डा0 निखिल गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, जनरल मेडिसिन विभाग
03	डा0 दिप्ती अग्रवाल, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड एवं विभागाध्यक्ष, पिडियाट्रिक्स विभाग
04	डा0 के0के0 यादव, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड, पिडियाट्रिक्स विभाग

अधिनियम की धारा 3(6) (iii) के अर्न्तगत अनुमोदित पैनल

क्र0सं0	नाम व पदनाम
01	डा0 पी0के0 मौर्या, प्रोफेसर, न्यूरोलॉजी विभाग
02	डा0 दिनकर कूलश्रेण्ठ, प्रोफेसर, न्यूरोलॉजी विभाग
03	डा0 डी0के0 सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, न्यूरोसर्जरी विभाग
04	डा0 मो0 कैफ, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड, न्यूरोसर्जरी विभाग

अधिनियम की धारा 3(6) (iv) के अर्न्तगत अनुमोदित पैनल

क्र0सं0	नाम व पदनाम
01	डा0 पी0के0 दास, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसियोलॉजी विभाग
02	डा0 ममता हरजाई, प्रोफेसर एनेस्थीसियोलॉजी विभाग
03	डा0 विरेन्द्र कुमार, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड, एनेस्थीसियोलॉजी विभाग

अतः उक्तानुसार मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम-1994 तथा मानव अंग एवं ऊतक प्रतिरोपण नियम 2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(किजल सिंह)
महानिदेशक।

संख्या: एम0ई0-3/2024/2240 तददिनांक/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2।
2. डा0 आर0हर्षवर्धन, संयुक्त निदेशक, SOTTO & Head, Hospital Administration, एस0जी0 पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ।

(किजल सिंह)
महानिदेशक